fnukd **09.08.2016** dk ifj;kstuk funs'kd] vkRek ckdk dh v/;{krk e vk;kftr i[kM rduhdh ic/kd ,o lgk;d rduhdh ic/kd dh cBd dh dk;okgh %&

1- mifLFkfr % ith e l/kkj.kA

2. आज की बैठक में जो प्रखंड तकनीकी प्रबंधक एवं सहायक तकनीकी प्रबंधक अनुपस्थित के कारण उनके द्वारा किये गये कार्यो की समीक्षा नही हो पा रही है। इस संबंध में सभी अनुपस्थित कर्मियों से स्पष्टीकरण की पृच्छा किया जाय।

3. प्रत्यक्षण :– श्री विधि तकनीक आधारित दिए गये प्रत्यक्षण की समीक्षा किया गया। प्रखंड तकनीकी प्रबंधक (सभी) बांका द्वारा बताया गया कि कृषकों के द्वारा प्रत्यक्षण का कार्य कराया गया है। परन्तु उनके द्वारा प्रस्तुत अभिश्रव की राशि आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से कृषकों के खाता में राशि हस्तांतरण नही किया गया है। इस संबंध में परियेाजना निदेशक आत्मा द्वारा बताया गया कि जिन कृषकों द्वारा प्रत्यक्षण का अभिश्रव प्रखंड कृषि पदाधिकारी के पास जमा है। उन कृषकों के खाते में राशि आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करें।

4. सहायक तकनीकी प्रबंधक शंभूगंज द्वारा बताया गया कि शंभूगंज प्रखंड में श्री विधि प्रत्यक्षण एक ही पंचायत के एक ग्राम में तीन कृषकों के द्वारा कराया गया है। उक्त समीक्षा के क्रम में जिला कृषि पदाधिकारी, बांका द्वारा निदेशित किया गया कि प्रत्यक्षण विभिन्न पंचायतों में किया जाना था। ताकि अधिक से अधिक किसान उक्त प्रत्यक्षण का अनुश्रवण कर पाते परन्तु जब एक ही ग्राम में प्रत्यक्षण कराया गया है तो उक्त प्रत्यक्षण को ससमय पर निरीक्षण कर प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें एवं भविष्य में इस बात का ख्याल रखा जाय कि एक ही टोला या ग्रामों में एक से अधिक प्रत्यक्षण देने हेतु लाभार्थी का चयन नही किया जाय।

5. समीक्षा के क्रम में सभी प्रखंड तकनीकी प्रबंधक एवं सहायक तकनीकी प्रबंधक से प्रत्यक्षण सूची की मांग की गयी तो उनके द्वारा सूची उपलब्ध नही कराया गया ना ही प्रत्यक्षण से संबंधित पंजी ही संधारित पाया गया जो बिलकुल ही खेदजनक है। परियोजना निदेशक आत्मा द्वारा निदेश दिया गया कि अविलम्ब प्रत्यक्षण सूची एवं संधारित पंजी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

6. खरीफ 2016–17 मौसम में प्रत्येक प्रखंड में एक–एक किसान पाठशाला संचालित है। संबंधित प्रखंड तकनीकी प्रबंधक एवं सहायक तकनीकी प्रबंधक द्वारा बताया गया कि किसान पाठशाला दो सत्र में पूण कर लिया गया है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि किसान पाठशाला से संबंधित प्रत्यक्षण की राशि किसी भी कृषकों की खाता में हस्तांतरित नही किया गया है। और ना ही प्रक्षेत्र से संबंधित फोटोग्राफी ही कराया गया है। जिस पर काफी खेद व्यक्त किया गया। निदेश दिया गया कि संचालित किसान पाठशाला का फोटो एवं इससे संबंधित पंजी की छायाप्रति अविलम्ब अवलोकनार्थ भेजना सुनिश्चित करें।

7. समूह :– जिला के सभी प्रखंडों में पॉच–पॉच समूह गठन का लक्ष्य रखा गया था जिसके अनुरूप प्रखंड अमरपुर –1, बांका–1, बाराहाट–4, बौंसी–2, धोरैय–1, चांदन–1, रजौन–2, शंभूगंज–2 का ही अभी तक आत्मा कार्यालय बांका द्वारा निबंधन कराया गया है। शेष प्रखंडों की उपलब्ध शून्य है। निदेश दिया गया कि जिन प्रखंडों से समूह गठन की उपलब्धि शून्य है। संबंधित प्रखंडों के प्रखंड तकनीकी प्रबंधक एवं सहायक तकनीकी प्रबंधक अविलम्ब समूहों का गठन कर आत्मा कार्यालय से निबंधन कराना सुनिश्चित करें। प्रत्येक प्रखंड में एक–एक खाद्य सुरक्षा समूह का गठन किया जाना था। परन्तु उक्त कर्मियों द्वारा एक भी खाद्य सुरक्षा समूह का गठन नही किया गया है। ऐसी स्थिति में इनके द्वारा अब तक समूह गठन में लक्ष्य के प्राप्ति नही किया गया है। जो खेद का विषय है।

8. प्रखंड तकनीकी प्रबंधक एवं सहायक तकनीकी प्रबंधक को निदेश दिया गया कि आत्मा योजना से संचालित विभिन्न योजनाओं में आरक्षण कोटि का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

परियोजना निदेशक
आत्मा, बांका।